क़ीमत 5 रूपया

http://www.cgpi.org

आने वाले इंक़लाबी तूफ़ानों के लिये तैयारी करें!

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

ग्रंथ-36, अंक – 16 | अगस्त 16-31, 2022 | पाक्षिक अख़बार | कुल पृष्ठ-6

आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ :

हिन्दोस्तान को उपनिवेशवादी विरासत से आज़ादी की ज़रूरत है

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय समिति का बयान, 15 अगस्त, 2022

हिन्दोस्तान आज से 75 साल पहले, उपनिवेशवादी शासन से आज़ाद हुआ था। लेकिन, देश के आर्थिक संबंधों, राज्य के संस्थानों और राजनीतिक प्रक्रिया पर आज भी ब्रिटिश राज की छाप है।

एक धनी अल्पसंख्यक श्रेणी के लाभ के लिए, देश की भूमि, श्रम और प्राकृतिक संसाधनों का शोषण और लूट जारी है। इस श्रेणी की अगुवाई आज टाटा, अंबानी, बिरला, अदानी और अन्य इजारेदार पूंजीपति कर रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था आज भी संकटग्रस्त पूंजीवादी–साम्राज्यवादी व्यवस्था से बंधी हुई है।

केंद्रीकृत अफ़सरशाही और सशस्त्र बल, क़ानून, अदालतें और जेल, जिन्हें ब्रिटिश पूंजीपतियों ने हम पर जुल्म करने और हमारे ऊपर शासन करने के लिए बनाया था, वे आज भी बरकरार हैं। इजारेदार पूंजीवादी घरानों की अगुवाई में हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग के शासन को बनाए रखने के लिए, पिछले 75 वर्षों से उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। 'फूट डालो और राज करो', यह आज़ाद हिन्दोस्तान के शासकों का मार्गदर्शक असूल बना हुआ है। राज्य द्वारा आयोजित सांप्रदायिक हिंसा इस हुकूमत का एक पसंदीदा तरीक़ा है।

बहुत सारे उपनिवेशवादी क़ानून अब भी बरकरार हैं, जो ज़मीर के अधिकार और अन्य मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। 1935 का भारत सरकार अधिनियम, जो अभ्यास के तौर पर ब्रिटिश हिन्दोस्तान का संविधान था, वह स्वतंत्र हिन्दोस्तान के संविधान की आत्मा बना हुआ है। उच्च न्यायालयों में, उच्च शिक्षा में और रोज़गार के बाज़ार में आज भी अंग्रेज़ी भाषा को ही अहमियत दी जाती है।

आज़ादी के 75 साल बाद भी हिन्दोस्तानी समाज उपनिवेशवादी शासन की विरासत के बोझ के तले क्यों दबा हुआ है? इस सवाल का जवाब देने के लिए, 1947 में हिन्दोस्तान में और विश्व स्तर पर जो स्थिति थी, उसका तथा उस वर्ष के अगस्त में हुये सत्ता के हस्तांतरण के असली चरित्र का अध्ययन करना आवश्यक है।

अंतर्राष्ट्रीय स्थिति और हिन्दोस्तान की स्थिति

द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी, इटली और जापान की फासीवादी धुरी की हार ने विश्व स्तर पर एक अत्यंत क्रांतिकारी स्थिति पैदा कर दी थी। सोवियत संघ की जनता और सेना ने नाज़ी जर्मनी को निर्णायक रूप से हरा दिया था। कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में, पूर्वी यूरोप के कई देशों में लोकतांत्रिक गणराज्यों की स्थापना हुई थी। चीन में मुक्ति संघर्ष जीत की ओर बढ़ रहा था। कम्युनिस्टों ने फासीवाद के ख़िलाफ़ संघर्ष को वीरता से नेतृत्व देते हुए, कई देशों में मेहनतकश लोगों का सम्मान प्राप्त किया था। एशिया, अफ्रीका और लातिन अमरीका में उपनिवेशवादी, अर्ध–उपनिवेशवादी और नव–उपनिवेशवादी शासन से मुक्ति के लिए सघर्ष करने वाले राष्ट्र और लोग समाजवाद के लिए तरस रहे थे।

जब विश्व युद्ध का अंत होने ही वाला था, तब संयुक्त राज्य अमरीका ने क्रांति में उठ रहे दुनिया के लोगों को डराने–धमकाने के लिए, जापान पर परमाणु बम गिराए। अपनी सैनिक प्रधानता का फ़ायदा उठाते हुए, अमरीकी साम्राज्यवादियों ने विश्व साम्राज्यवाद का नेतृत्व अपने हाथों में ले लिया। उन्होंने दुनिया के विभिन्न इलाकों में सशस्त्र दखलंदाज़ी आयोजित की, यह सुनिश्चित करने के लिए कि नए–नए आज़ाद हुए राष्ट्र और उनके लोग समाजवाद के मार्ग पर न चल पड़ें।

अमरीकी साम्राज्यवाद ने यूनान में जन–विद्रोह को क्रूरता से कुचलने और वहां एक फासीवादी हुकूमत को स्थापित करने के लिए हस्तक्षेप किया। अमरीकी सैनिकों ने कोरियाई लोगों के मुक्ति संघर्ष का खूनी दमन किया, जिसकी वजह से उस राष्ट्र का विभाजन हुआ और दक्षिण कोरिया में फासीवादी हुकूमत की स्थापना हुई।

हिन्दोस्तान के अन्दर, उपनिवेशवादी राज का व्यापक तौर पर हो रहा जन–विरोध चरम सीमा पर पहुंच गया था। कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में, मज़दूरों की हड़तालें कपड़ा उद्योग में शुरू हो रही थीं और कई अन्य क्षेत्रों में फैल रही थीं। कम्युनिस्टों के नेतृत्व में, दक्षिण हिन्दोस्तान में तेलंगाना और बंगाल में तेभागा सहित, देश के विभिन्न इलाकों में किसान आंदोलन आगे बढ़ रहे थे।

विश्व युद्ध से कमजोर हुए ब्रिटिश साम्राज्यवादी यह समझने लगे कि हिन्दोस्तान में उनके सीधे उपनिवेशवादी शासन के

शेष पृष्ठ 2 पर

बिजली (संशोधन) विधेयक, 2022 :

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने देशभर में विरोध प्रदर्शन किये

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को 8 अगस्त, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया। इस विधेयक को संसद के मानसून सत्र के लिए, पहले सूचीबद्ध नहीं किया गया था; इसे अंतिम समय पर जल्दबाजी में पेश किया गया। संसद में कई विपक्षी पार्टियों ने इसका विरोध किया। इसके बाद और अधिक परामर्श के लिए, इसे ऊर्जा से संबंधित संसद की स्थायी समिति के पास भेज दिया गया।

विद्युत संशोधन विधेयक का उद्देश्य है, निजी कंपनियों को राज्य डिस्कॉम के वितरण नेटवर्क का इस्तेमाल करके बिजली वितरण से मुनाफ़ा कमाने के लिए सक्षम बनाना। इजारेदार पूंजीपति चाहते हैं कि विधेयक को पारित किया जाए, ताकि पूरे देश में बिजली वितरण के ज़रिये भारी मुनाफ़ा बनाने की उनकी योजना सुनिश्चित हो सके।

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने सरकार को बार–बार चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने बिजली संशोधन विधेयक 2022 को पारित करने का प्रयास किया, तो पूरे देश के बिजली मज़दूर इसका विरोध करेंगे।

साथ ही साथ बिजली–आपूर्ति को बाधित करने वाली अनिश्चितकालीन हड़ताल भी करेंगे। इस फ़ैसले के अनुसार, जिस दिन बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को संसद में पेश किया गया उस दिन बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शन किये।

एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, नेशनल कोर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाईज एंड इंजीनियर्स (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) द्वारा दिये गये "कार्य विराम" के आह्वान पर, 27 लाख मज़दूरों में से लगभग 10 लाख मज़दूरों ने विरोध प्रदर्शनों में हिस्सा लिया। हैदराबाद, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, बैंगलोर, विजयवाड़ा, लखनऊ, पटियाला, देहरादून, शिमला, जम्मू, श्रीनगर, चंडीगढ़, मुंबई, कोलकाता, पुणे, वडोदरा, रायपुर, जबलपुर, भोपाल, रांची, गुवाहाटी, शिलांग, पटना, भुवनेश्वर, जयपुर और अन्य शहरों में विरोध प्रदर्शनों को आयोजित किये जाने की रिपोर्टें मिली हैं।

कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के ख़िलाफ़ इस जुझारू विरोध के लिए बिजली क्षेत्र के मज़दूरों को बधाई देती है।

बिजली संशोधन विधेयक, 2022 का उद्देश्य बिजली वितरण का निजीकरण करना है। राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियों द्वारा चलाये जा रहे वितरण नेटवर्क के लाभदायक हिस्सों को निजी वितरण इजारेदारों को सौंपकर यह निजीकरण किया जा रहा है। इसका

शेष पृष्ठ 6 पर

अंदर पढ़ें

- बिजली महत्वपूर्ण सामाजिक ज़रूरत और मानव अधिकार 3
- बिजली (संशोधन) विधेयक के विरोध में राष्ट्रीय अधिवेशन 4
- रेल चालकों का धरना 4
- नरेगा मज़दूरों का धरना 4
- डाक सेवा के निजीकरण के ख़िलाफ़ देशभर में विरोध 5

स्वतंत्रता के 75 वर्ष :

पृष्ठ 1 का शेष

दिन अब ख़त्म होने वाले हैं। वे नहीं चाहते थे कि हिन्दोस्तान, जिसे वे लंबे समय से अपनी सबसे क़ीमती संपत्ति माना करते थे, साम्राज्यवादी व्यवस्था से पूरी तरह से बाहर निकल जाएं। उन्होंने योजना बनानी शुरू कर दी कि कैसे हिन्दोस्तानियों के उन वर्गों के हाथों में सत्ता दी जा सके, जिनके हित में उपनिवेशवादी विरासत को क़ायम रखना और हिन्दोस्तान को साम्राज्यवादी व्यवस्था के अन्दर रखना होगा।

अंग्रेजों द्वारा खाली की गई राज गद्दी पर खुद बैठने की उम्मीद करते हुए, हिन्दोस्तानी पूंजीपति वर्ग की अगुवाई करने वाले औद्योगिक घरानों ने 1943 से ही, उपनिवेशवादी राज के ख़त्म होने के बाद, देश के विकास की योजना बनानी शुरू कर दी थी। उन्होंने जे.आर.डी. टाटा और जी.डी. बिड़ला सहित, औद्योगिक घरानों के प्रमुख प्रतिनिधियों द्वारा लिखित, बॉम्बे प्लान नामक एक दस्तावेज़ में अपने नज़रिए को पेश किया।

पूंजीवादी औद्योगिक विकास के सही हालात बनाने के लिए, बॉम्बे प्लान में यह सिफारिश की गयी कि सार्वजनिक धन और विदेशी सहायता का उपयोग करके भारी उद्योग और बुनियादी ढांचे के एक राजकीय क्षेत्र का निर्माण किया जाना चाहिए। बॉम्बे प्लान में निर्मित उपभोग की वस्तुओं के आयात पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रस्ताव रखा गया, ताकि हिन्दोस्तानी बड़े पूंजीपति उन बाज़ारों पर खुद हावी हो सकें और अधिकतम मुनाफ़े प्राप्त कर सकें। 1944 और 1945 में बॉम्बे प्लान को दो खंडों में प्रकाशित किया गया, परन्तु उससे पहले उसका मसौदा ब्रिटिश वायसराय को उनके अनुमोदन के लिए दिया गया था।

विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, उपनिवेशवादी शासन से पूर्ण आज़ादी की मांग करते हुए, जन प्रदर्शनों की लहर तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। 1946 में, रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों के एक विद्रोह ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की नींव को झकझोर कर रख दिया और उन्हें सत्ता के हस्तांतरण की तैयारी की प्रक्रिया को तेज़ करने को मजबूर किया (नौसेना विद्रोह पर बॉक्स देखें)। क्रान्ति के सांझे डर ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों और हिन्दोस्तानी सरमायदारों को सत्ता के हस्तांतरण को जल्दी से अंजाम देने के लिए, एक साथ ला दिया।

सत्ता का हस्तांतरण

नौसेना विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को यह साफ़–साफ़ समझा दिया कि वे ब्रिटिश शासन के ख़िलाफ़ लड़ रहे हिन्दोस्तानियों पर बल प्रयोग करने के लिए अब हिन्दोस्तानी सैनिकों पर भरोसा नहीं कर सकते थे। उन्होंने हिन्दोस्तान के बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों को सत्ता का हस्तांतरण करने के तौर–तरीक़ों को निर्धारित करने के लिए, तुरंत एक कैबिनेट मिशन को हिन्दोस्तान भेजा।

हिन्दोस्तान से बाहर निकलने की अपनी रणनीति के हिस्से बतौर, ब्रिटिश पूंजीपति वर्ग ने देश को हिंदू बहुल हिन्दोस्तान और मुस्लिम बहुल पाकिस्तान में विभाजित करने का फ़ैसला किया। कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के साथ अलग–अलग बातचीत करते हुए, उन्होंने हिन्दोस्तानी पूंजीपतियों और जमींदारों के प्रतिस्पर्धी गुटों को यह मानने को राज़ी किया कि राजनीतिक सत्ता हासिल करने का यही एकमात्र तरीक़ा है।

सांप्रदायिक विभाजन से क्रांति को रोकने और लोगों के एकजुट संघर्षों को खून में बहाने का उद्देश्य पूरा हुआ। उससे इन दो नए–नए आज़ाद, पड़ोसी राज्यों के बीच स्थायी झगड़े के बीज बोये गए। उसके ज़रिये, दक्षिण एशिया को कमज़ोर, विभाजित तथा विश्व स्तर पर क्रांति और समाजवाद के ख़िलाफ़ साम्राज्यवादी हमले का आधार बना कर रखा गया।

सत्ता के हस्तांतरण के प्रतिक्रांतिकारी उद्देश्यों को लॉर्ड माउंटबेटन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया था। लॉर्ड माउंटबेटन 21 जून, 1948 तक ब्रिटिश हिन्दोस्तान के अंतिम वायसराय और आज़ाद हिन्दोस्तान के प्रथम गवर्नर–जनरल थे। रिपोर्टों के अनुसार, कई वर्षों बाद, माउंटबेटन ने अमरीका के साउथ कैरोलिना के मिलिट्री कॉलेज में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था :

> "ख़तरा, हमेशा की तरह, विनाशकारी कार्यवाहियों से है। यह हिन्दोस्तान के आज़ाद होने के बाद से बहुत कम है। उस नज़रिए से देखा जाये तो, ब्रिटेन के हिन्दोस्तान छोड़ने से, कम्युनिस्ट बुनियादी संगठनों को नष्ट करने और कम्युनिस्ट प्रचार का खंडन करने की हिन्दोस्तान की क्षमता को मजबूत किया गया था। उन्होंने (कांग्रेसी शासकों) ने कम्युनिस्टों को कुचल दिया, जबकि अंग्रेज कम्युनिस्टों के प्रति हिन्दोस्तानियों की हमदर्दी जगाए बिना ऐसा करने में सक्षम नहीं हो सकते थे।"
>
> *(हिंदुस्तान स्टैंडर्ड के 22 दिसंबर, 1962 के अंक में रिपोर्ट किया गया)*

उपनिवेशवादी विरासत को बरकरार रखा गया है

आज़ादी के तुरंत बाद, नेहरू सरकार ने कम्युनिस्टों के ख़िलाफ़ क्रूर दमन शुरू किया। उसने कम्युनिस्टों को जेल में डाल दिया और उनमें से कई की जेल में हत्या भी कर दी। जब संविधान का मसौदा तैयार किया जा रहा था, तो उस अवधि के दौरान, नेहरू सरकार ने कम्युनिस्ट पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया था।

जिस संविधान सभा को आज़ाद हिन्दोस्तान के संविधान को लिखने का काम सौंपा गया था, उसे जनता ने सर्वव्यापी मताधिकार के आधार पर नहीं चुना था। उसके कुछ सदस्यों को ब्रिटिश राज द्वारा मनोनीत किया गया था। उसके अन्य सदस्य वे थे जो ब्रिटिश राज के प्रांतीय वैधानिक निकायों में चुने गए थे। वे ब्रिटिश शासन के चलते चुने गए थे, जब सिर्फ आबादी के थोड़े से संपत्ति वाले अल्पसंख्यकों के पास ही मतदान का अधिकार था। संविधान सभा के अधिकांश सदस्य बड़े पूंजीपतियों और बड़े जमींदारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते थे, जो अंग्रेजों से सत्ता लेकर उसी व्यवस्था को अपने हित के लिए चलाना चाहते थे।

1950 का संविधान मानव श्रम के शोषण, किसानों और अन्य छोटे वस्तु उत्पादकों की लूट तथा हिन्दोस्तान के प्राकृतिक संसाधनों की लूट–खसौट के ज़रिये, पूंजीपतियों के अधिक से अधिक निजी मुनाफ़े हासिल करने के "हक़" की रक्षा करता है।

आज़ाद हिन्दोस्तान का संविधान ब्रिटिश उपनिवेशवादी राज्य के सांप्रदायिक नज़रिए को बरक़रार रखता है। वह हिन्दोस्तानी समाज को हिंदू बहुसंख्यक, मुस्लिम अल्पसंख्यक और कई अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों से बना हुआ मानता है। संविधान में एक ऐसा उपखंड भी है जो यह कहता है कि सिख और जैन हिंदू बहुसंख्या के भाग हैं।

हिन्दोस्तानी सरमायदारों ने 'फूट डालो और राज करो' की रणनीति के उपनिवेशवादी शस्त्रागार को संरक्षित रखा है तथा उसे और असरदार बनाया है। साम्प्रदायिक हिंसा को आयोजित करने के लिए राज्य का इस्तेमाल करना, उसे 'दंगे' के रूप में घोषित करना, और फिर सांप्रदायिक सद्भाव का प्रचार करना, ये सभी आज़ाद हिन्दोस्तान में शासन के पसंदीदा तरीक़े बने हुए हैं।

जबकि हिन्दोस्तान को "राज्यों का संघ" कहा जाता है, तो संघ के किसी भी घटक की राष्ट्रीय पहचान और अधिकारों की कोई मान्यता नहीं है। अगर हिन्दोस्तानी संघ के अन्दर बसे हुए कोई भी राष्ट्र, राष्ट्रीयता या लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं तो उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जाता है। उन्हें राष्ट्रीय एकता और हिन्दोस्तान की क्षेत्रीय अखंडता के लिए ख़तरा माना जाता है। इस तरह, संविधान इस उपमहाद्वीप के विविध लोगों की राष्ट्रीय पहचान और अधिकारों के हनन को बरकरार रखता है।

केंद्रीय संसद के हाथों में राज्यों की सीमाओं की परिभाषा देने की सर्वोच्च शक्ति है। उसके हाथ में मौजूदा राज्यों को तोड़ने, नए राज्य बनाने या मौजूदा राज्यों को केंद्र शासित प्रदेशों में बदलने की शक्ति है। राज्यों पर अपनी मनमर्जी थोपने की केंद्र की अत्यधिक शक्तियां इजारेदार पूंजीपतियों के नज़रिए और उद्देश्यों को दर्शाती हैं, जो विभाजन के बाद के हिन्दोस्तान के पूरे क्षेत्र को अपनी जागीर मानते हैं।

सर्वव्यापी प्रौढ़ मताधिकार की लोकप्रिय मांग को स्वीकार करते हुए, संविधान सभा ने उसी राजनीतिक व्यवस्था को क़ायम रखने का फ़ैसला किया, जिसे ब्रिटिश शासकों ने हिन्दोस्तानी लोगों को बांटकर उन पर राज करने के लिए स्थापित किया था। 1950 के संविधान का लगभग तीन–चौथाई हिस्सा 1935 के ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट (भारत सरकार अधिनियम) से उठाया गया है।

हिन्दोस्तानी सरमायदारों ने चुनाव के नतीजे तय करने के लिए अपने बेशुमार धन और मीडिया–बल का इस्तेमाल किया है। वे चुनावों के ज़रिये, उस पार्टी या पार्टियों के गठबंधन को चुनकर सरकार में बिठाते हैं, जो सरमायदारों के एजेंडे को सबसे बेहतर ढंग से लागू कर सकते हैं, और इसके साथ–साथ लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं कि उनकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। अलग–अलग

शेष पृष्ठ 3 पर

1946 का नौसेना विद्रोह

फरवरी 1946 में, रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों या "रेटिंगंस" ने ब्रिटिश शासकों के ख़िलाफ़ विद्रोह किया। वह विद्रोह बम्बई से कराची और कलकत्ता तक फैल गया। नौसैनिकों के समर्थन में हजारों मज़दूर सड़कों पर उतर आये।

48 घंटों से भी कम समय में, 20,000 नौसैनिकों ने 78 जहाजों और 21 तट प्रतिष्ठानों पर नियंत्रण कर लिया। उन्होंने ब्रिटिश झंडे की जगह पर कांग्रेस पार्टी, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट पार्टी के संयुक्त झंडों को फहरा दिया। ब्रिटिश हिन्दोस्तान की सेना ने नाविकों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया। इस विद्रोह से सशस्त्र बलों की अन्य शाखाओं में भी विद्रोह फैल गया।

विद्रोह को कुचलने के लिए, अंग्रेजों ने अपने युद्धपोत एच.एम.एस. ग्लासगो के साथ–साथ, रॉयल एयर फ़ोर्स के लड़ाकू विमानों को भी तैनात किया। उन्होंने नाविकों और उनका समर्थन करने के लिए सड़कों पर उतरे लोगों पर गोलियां चलाईं, जिसके परिणामस्वरूप 400 से अधिक लोग मारे गए और 1500 घायल हो गए।

जबकि कम्युनिस्टों ने विद्रोह को समर्थन दिया, कांग्रेस पार्टी और मुस्लिम लीग के नेताओं ने विद्रोह की निंदा की। उन्होंने विद्रोही नाविकों को आत्मसमर्पण करने को मनाने के लिए प्रतिनिधिमंडल भेजे। उन्होंने वादा किया कि किसी भी विद्रोही नौसैनिक को प्रताड़ित नहीं किया जायेगा, जिस वादे को तोड़ा गया था। आज़ादी के बाद भी, हिन्दोस्तान और पाकिस्तान की सरकारों ने उस वादे को पूरा करने से इनकार कर दिया। उन्होंने सेना से बर्खास्त किये गए लोगों को सशस्त्र बलों में पुनः शामिल होने से रोका। उन्होंने नौसेना के विद्रोह की कहानी को इतिहास की किताबों में दर्ज होने से भी रोका।

स्रोत : प्रमोद कुमार, 1946 स्वतंत्रता का अंतिम युद्ध – रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी, रोली बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, 2022।

विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, उपनिवेशवादी शासन से पूर्ण आज़ादी की मांग करते हुए, जन प्रदर्शनों की लहर तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। 1946 में, रॉयल इंडियन नेवी के नाविकों के एक विद्रोह ने ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन की नींव को झकझोर कर रख दिया और उन्हें सत्ता के हस्तांतरण की तैयारी की प्रक्रिया को तेज़ करने को मजबूर किया। क्रान्ति के सांझे डर ने ब्रिटिश साम्राज्यवादियों और हिन्दोस्तानी सरमायदारों को सत्ता के हस्तांतरण को जल्दी से अंजाम देने के लिए, एक साथ ला दिया।

बिजली एक महत्वपूर्ण सामाजिक ज़रूरत और सर्वव्यापी मानव अधिकार है

हिन्दोस्तान में बिजली के निजीकरण के विरोध में किये जा रहे वर्ग संघर्ष पर लिखे गये लेखों की श्रृंखला में यह छठवां लेख है

बिजली को लेकर जो वर्ग संघर्ष चल रहा है, वह इस विषय पर है कि इस महत्वपूर्ण उत्पादक शक्ति का मालिक किसे होना चाहिए और इसके उत्पादन और वितरण का उद्देश्य क्या होना चाहिए। समाज में बिजली की भूमिका की परिभाषा इस संघर्ष के केंद्र बिंदू पर है।

एक तरफ बिजली के निजीकरण के समर्थक हैं। उनके अनुसार, इसका उद्देश्य है बिजली की आपूर्ति को निजी बिजली कंपनियों के लिए अधिकतम लाभ का स्रोत बनाना। दूसरी तरफ़ मज़दूर और व्यापक जनसमूह है, जो इस बात पर ज़ोर दे रहे हैं कि बिजली पूरे समाज की बढ़ती ज़रूरतों के लिए अनिवार्य है और यह एक सर्वव्यापी मानव अधिकार है।

इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता कि बिजली समाज की प्रगति के लिए एक अनिवार्य ज़रूरत है। आधुनिक उद्योगों और खदानों को चलाने के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। पाइप के ज़रिये पानी की आपूर्ति करने के लिए और ज़मीन के नीचे से पानी को निकालने के लिए बिजली की आवश्यकता होती है। अर्थव्यवस्था और सामाजिक जीवन में अधिकांश गतिविधियां बिजली पर निर्भर हैं। यही कारण है कि बिजली की प्रति व्यक्ति खपत को देश के विकास के स्तर का संकेतक माना जाता है।

यह भी निर्विवाद है कि आधुनिक समाज में बिजली प्रत्येक मनुष्य की मूलभूत ज़रूरत है। घरों में रोशनी करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इंटरनेट चलाने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। कोरोना वायरस महामारी ने स्पष्ट रूप से यह दिखा दिया है कि जिनके घर में बिजली नहीं है, उन्हें बुनियादी शिक्षा भी नहीं मिल सकती है। भोजन, आवास, बुनियादी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और सुरक्षित पेयजल के साथ–साथ प्रत्येक घर में बिजली होना एक सर्वव्यापी मानव अधिकार है।

बिजली को सभी मनुष्यों के अधिकार के रूप में परिभाषित करने का मतलब है कि राज्य सभी के लिए सस्ती दरों पर उसकी सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बाध्य है। निजीकरण का मतलब है बिजली की आपूर्ति का काम निजी कंपनियों को सौंपना। इसका मतलब है कि राज्य अपने कर्तव्य से इंकार कर रहा है। वह मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है।

निजीकरण का कार्यक्रम बिजली के उत्पादन और वितरण, दोनों को ही निजी मालिकी वाली कंपनियों के लिए अधिकतम मुनाफ़े के स्रोत में परिवर्तित करने के उद्देश्य और दृष्टिकोण से प्रेरित है। मज़दूर वर्ग और सभी प्रगतिशील लोगों का उद्देश्य और दृष्टिकोण है कि पूरे समाज की लगातार बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बिजली की आपूर्ति का लगातार विस्तार किया जाना चाहिये। बिजली के निजीकरण के कार्यक्रम का उद्देश्य इसका बिल्कुल उल्टा है। बिजली का उत्पादन और वितरण या तो निजी मुनाफ़े को अधिकतम करने के लिए हो सकता है या फिर सस्ती दरों पर सभी लोगों को बिजली सुनिश्चित करने के लिये हो सकता है। इन दोनों लक्ष्यों को एक साथ हासिल करना संभव नहीं है।

हाल के दशकों में किए गए बिजली उत्पादन के निजीकरण ने बिजली को सस्ता नहीं बनाया है। इसने बिजली को सभी के लिए सुलभ नहीं बनाया है। बिजली वितरण के निजीकरण से बिजली और भी महंगी हो जाएगी। इससे दूर–दराज़ और ग्रामीण क्षेत्रों के लोग नियमित बिजली सप्लाई से वंचित हो जायेंगे।

इजारेदार पूंजीपतियों के मुनाफ़े सुनिश्चित करने के लिए निजीकरण का इस्तेमाल किया गया है। राज्य के स्वामित्व वाले बिजली बोर्डों और वितरण कंपनियों को आर्थिक रूप से कमजोर बना दिया गया है, ताकि उन्हें निजी कंपनियों को बेहद कम क़ीमत पर बेचने का औचित्य पेश किया जा सके।

हिन्दोस्तान में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है। चीन में बिजली की प्रति व्यक्ति खपत हिन्दोस्तान की तुलना में लगभग साढ़े चार गुना है। इंग्लैंड में वह साढ़े तीन गुना है। संयुक्त राज्य अमरीका में हिन्दोस्तान की तुलना में प्रति व्यक्ति खपत नौ गुना है। हिन्दोस्तान के भीतर, एक राज्य से दूसरे राज्य में भारी भिन्नताएं हैं। बिहार और असम में प्रति व्यक्ति बिजली की खपत राष्ट्रीय औसत का केवल एक चौथाई है। अंग्रेजों के राज के ख़तम होने के बाद, विकास के 75 वर्षों के बाद भी, करोड़ों ग्रामीण और शहरी घरों में बिजली नहीं है, या उसकी बहुत अपर्याप्त सप्लाई है।

सभी लोगों की घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने और औद्योगिक उत्पादन में तेज़ी से वृद्धि लाने के लिए, योजनाबद्ध तरीक़े से बिजली उत्पादन और वितरण का विस्तार करने की आवश्यकता है। इसके लिए पूरी अर्थव्यवस्था की दिशा पूर्णतः बदलने की आवश्यकता है। वर्तमान दिशा है हिन्दोस्तानी और अंतर्राष्ट्रीय इजारेदार पूंजीपतियों के लिए अधिकतम मुनाफ़ा पैदा करना। उसको उलटना होगा। पूरी आबादी की बढ़ती भौतिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की अधिकतम संभव पूर्ति के उद्देश्य से वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन और वितरण को संचालित करने की आवश्यकता है।

बिजली के निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी दिशा को बदलने के संघर्ष का एक अनिवार्य भाग है। इजारेदार पूंजीवादी लालच के बजाय मानवीय ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में अर्थव्यवस्था को चलाने की ज़रूरत है। मज़दूर वर्ग को किसानों और अन्य सभी उत्पीड़ित जनता के साथ मिलकर राजनीतिक सत्ता को अपने हाथों में लेना होगा। तभी अर्थव्यवस्था की वर्तमान दिशा को बदला जा सकता है। इस नज़रिये के साथ, बिजली के निजीकरण के ख़िलाफ़ संघर्ष को करना होगा।

http://hindi.cgpi.org/22493

स्वतंत्रता के 75 वर्ष :

पृष्ठ 2 का शेष

पार्टियों का स्थान समय–समय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में बदलता रहता है, लेकिन इससे अर्थव्यवस्था की पूंजीवादी दिशा में या लोगों के अधिकारों के बढ़ते हनन में कभी कोई बदलाव नहीं हुआ है।

पिछले 75 वर्षों में, पूंजी के बढ़ते संकेन्द्रण के साथ–साथ राजनीतिक सत्ता का संकेन्द्रण भी बहुत बढ़ गया है। उपनिवेशवादी काल से विरासत में मिले राज्य का इस्तेमाल करके, बड़े पूंजीपतियों ने पूंजीवाद को विकसित किया है, अपने हाथों में धन संकेंद्रित किया है और साम्राज्यवादी लक्ष्यों वाले इजारेदार पूंजीपतियों के रूप में विकसित हुए हैं। वे अब तक उदारीकरण और निजीकरण के साम्राज्यवादी नुस्खों को अपना चुके हैं और किसी प्रकार के समाजवाद या मिश्रित अर्थव्यवस्था के निर्माण के सभी ढोंगों को त्याग चुके हैं। यह स्पष्ट हो गया है कि तथाकथित सबसे बड़ा लोकतंत्र वास्तव में, मुट्ठीभर हिन्दोस्तानी और विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों की हुक्मशाही ही है।

हिन्दोस्तान के इजारेदार पूंजीपति हिन्दोस्तान के अन्दर तथा विदेशी बाज़ारों में, विदेशी इजारेदार पूंजीपतियों के साथ सहयोग करते हैं और उनके साथ प्रतिस्पर्धा भी करते हैं। इजारेदार पूंजीपतियों के साम्राज्यवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए हिन्दोस्तानी राज्य ने अमरीकी साम्राज्यवाद के साथ रणनैतिक व सैनिक गठबंधन बनाया है।

अपने अत्यंत संकीर्ण हितों और साम्राज्यवादी लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, सरमायदार देश को बेहद ख़तरनाक रास्ते पर ले जा रहे हैं। वे मज़दूरों के शोषण और किसानों की लूट को असहनीय स्तर तक बढ़ा रहे हैं। वे फासीवादी क़ानूनों का इस्तेमाल करते हुए, ज्यादा से ज्यादा हद तक क्रूर दमन और मनमानी गिरफ़्तारी का सहारा ले रहे हैं।

हिन्दोस्तान को पूंजीवाद और संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था से मुक्त होने की ज़रूरत है, जो व्यवस्था मूल रूप से पूंजीपति वर्ग की हुक्मशाही है।

निष्कर्ष

ब्रिटिश उपनिवेशवादी शासन का अंत वस्तुगत तौर पर एक सकारात्मक विकास था। वह बीते समय से एक क़दम आगे था। परन्तु अगर श्रमजीवी वर्ग ने उपनिवेशवाद–विरोधी संघर्ष का नेतृत्व किया होता, न कि पूंजीपति वर्ग, तो जो कुछ हासिल किया जा सकता था, वह उससे बहुत कम था।

आज के नज़रिए से अगर बीते समय को देखें, तो यह स्वीकार करना होगा कि 1947 में सत्ता के हस्तांतरण के दौरान, कम्युनिस्ट आंदोलन पूंजीपति वर्ग के विश्वासघात का पर्दाफ़ाश करने में नाक़ामयाब रहा। कम्युनिस्ट आन्दोलन उपनिवेशवादी विरासत से नाता तोड़ने और मज़दूरों व किसानों का राज स्थापित करके समाजवाद की राह पर चलने के लिए, एक क्रांतिकारी कार्यक्रम को विकसित करने में नाक़ामयाब रहा। स्पष्ट क्रांतिकारी नेतृत्व के अभाव की वजह से, मज़दूरों, किसानों और सैनिकों का जन–विद्रोह क्रांति की फतह तक नहीं पहुँच पाया।

आज कम्युनिस्ट आंदोलन के सामने पिछली नाक़ामयाबियों के बारे में रोने का काम नहीं है, बल्कि आज समस्या को समाधान के लिए उठाना है। हमारा काम श्रमजीवी वर्ग और सभी उत्पीड़ित और शोषित जनता को उपनिवेशवादी विरासत से नाता तोड़ने की आवश्यकता के बारे में जागरुक बनाना है। हिन्दोस्तान को पूंजीवाद और संसदीय लोकतंत्र की व्यवस्था से मुक्त होने की ज़रूरत है, जो व्यवस्था मूल रूप से पूंजीपति वर्ग की हुक्मशाही है।

यथास्थिति के क्रांतिकारी विकल्प के इर्द–गिर्द कम्युनिस्टों की एकता पुनर्स्थापित करनी होगी। इसके लिए सरमायादारी विचारधारा के साथ हर प्रकार के समझौते के ख़िलाफ़, संविधान के गुणगान और पूंजीवाद व संसदीय लोकतंत्र के बारे में भ्रम पैदा करने के ख़िलाफ़, अडिग विचारधारात्मक संघर्ष की आवश्यकता है।

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी मज़दूरों और किसानों का राज स्थापित करने, साम्राज्यवादी व्यवस्था से बाहर निकलने, सामंतवाद और जातिवादी व्यवस्था के सभी अवशेषों को ख़त्म करने और पूंजीवाद से हटकर, समाजवाद के रास्ते पर चलने के कार्यक्रम के इर्द–गिर्द सभी कम्युनिस्टों को एकजुट होने का आह्वान करती है।

हिन्दोस्तान को नव–निर्माण की ज़रूरत है, नयी बुनियादों पर नयी शुरुआत करने की ज़रूरत है। हिन्दोस्तानी संघ को एक स्वैच्छिक संघ के रूप में पुनर्गठित करना होगा, जिसमें हरेक घटक के राष्ट्रीय अधिकारों का आदर किया जायेगा। संविधान को राष्ट्रीय अधिकारों सहित सभी लोकतांत्रिक और मानव अधिकारों की गारंटी देनी होगी। उसे लोगों को संप्रभु बनाना होगा। राजनीतिक प्रक्रिया को बदलना होगा ताकि मेहनतकश जनता फ़ैसले लेने की शक्ति का प्रयोग कर सके। अर्थव्यवस्था को सभी लोगों की बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करने की दिशा में चलाना होगा, न कि मुट्टीभर पूंजीपतियों के अधिकतम निजी मुनाफों की लालच को पूरा करने के लिए।

http://hindi.cgpi.org/22517

बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के विरोध में राष्ट्रीय अधिवेशन

2 अगस्त, 2022 को देश के कोने–कोने से आये बिजली क्षेत्र के मज़दूरों ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के विरोध में नई दिल्ली स्थित कांस्टीट्यूशन क्लब में एक राष्ट्रीय अधिवेशन में भाग लिया। इस अधिवेशन को नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इम्प्लॉइज एंड इंजीनियर्स (एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई.) ने आयोजित किया था। एन.सी.सी.ओ.ई.ई.ई. देश के सभी बिजली कर्मियों और इंजीनियरों की फेडरेशनों का एक संयुक्त मंच है।

अधिवेशन की अध्यक्षता ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन, ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ पॉवर डिप्लोमा इंजीनियर्स, इलेक्ट्रिसिटी इंप्लाइज फेडरेशन ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया पावर मेन्स फेडरेशन, इंडियन नेशनल इलेक्ट्रिसिटी वर्कर्स फेडरेशन, आदि के सर्व हिन्द अध्यक्षों ने संयुक्त रूप से की।

अधिवेशन में पूरे देश के बिजली मज़दूरों की यूनियनों व फेडरेशनों के प्रतिनिधि शामिल हुए।

अधिवेशन को संबोधित करते हुए ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन के चेयरमैन शैलेन्द्र दूबे ने कहा कि बिजली संशोधन विधेयक बिजली वितरण के निजीकरण का एक ज़रिया है। बड़े–बड़े

इजारेदार पूंजीवादी घरानों को सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के बिजली के मौजूदा नेटवर्क का इस्तेमाल करने की छूट दी जाएगी। इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों को बिजली की ऊंची दरें तय करने की छूट दी जाएगी, जिससे वे बेशुमार मुनाफ़े कमाएंगी। नतीजन सरकारी वितरण कंपनियां कंगाल हो जायेंगी और बाद में उन्हें औने–पौने दाम पर, उन्हीं इजारेदार पूंजीवादी घरानों को सौंप दिया जाएगा।

उन्होंने सरकार के उस दावे का भी खंडन किया कि इस विधेयक से उपभोक्ताओं को अपनी पसंद के बिजली वितरणकर्ता को चुनने की आज़ादी होगी। इजारेदार पूंजीवादी कंपनियों को अपने वितरण के क्षेत्र को चुनने की आज़ादी दी जाएगी, ताकि वे अधिक से अधिक मुनाफ़े बना सकें, जबकि उपभोक्ता को अपनी वितरण कंपनी चुनने की कोई छूट नहीं होगी ।

उन्होंने कहा कि इस 'मुनाफ़े का निजीकरण और घाटे का राष्ट्रीयकरण' की नीति के ख़िलाफ़ मज़दूर–किसान–उपभोक्ता को मिलकर संघर्ष करना होगा।

बिजली मज़दूरों की यूनियनों व फेडरेशनों के नेताओं ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 के विरोध में अपने विचार रखे। अधिवेशन में विपक्ष की कई राजनीतिक पार्टियों के नेताओं और सांसदों ने भी भाग लिया और सभा को संबोधित किया। किसान आन्दोलन के नेताओं ने भी इस विधेयक के विरोध में अपनी बातें रखीं। प्रमुख ट्रेड यूनियनों और मज़दूर संगठनों, एटक, मज़दूर एकता कमेटी, हिन्द मजदूर सभा, ए.आई.यू.टी.यू.सी., सी.आई.टी.यू., इत्यादि ने अधिवेशन में हिस्सा लेकर बिजली कर्मियों के संघर्ष का समर्थन किया।

अधिवेशन में यह फ़ैसला लिया गया कि यदि केंद्र सरकार ने बिजली कर्मियों की आवाज़ को अनसुना करके, जबरदस्ती से बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 को संसद में पेश करती है, तो जिस दिन पर ऐसा करती है, उसी दिन देशभर के तमाम 27 लाख बिजली कर्मचारी और इंजीनियर तत्काल काम बंद कर देंगे।

इसके अलावा, 10 अगस्त को देशभर में सभी जिलों और परियोजना मुख्यालयों पर बिजली कर्मचारी व्यापक विरोध प्रदर्शन करके अपनी एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे।

http://hindi.cgpi.org/22488

भारतीय रेल के चालकों ने निजीकरण का विरोध किया

4 अगस्त, 2022 को भारतीय रेल के चालकों ने जंतर–मंतर पर धरना दिया और पूरे दिन का अनशन किया। यह अनशन सरकार की रेल–विरोधी और जन–विरोधी नीतियों के ख़िलाफ़ किया गया था। धरने का आयोजन आल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसियेशन (ए.आई.एल.आर.एस.ए.) की अगुवाई में किया गया था। भारी बारिश के बावजूद रेल चालकों का धरना चलता रहा और पूरे जोश के साथ निजीकरण के विरोध में नारे बुलंद किये गए।

इस अनशन के समर्थन में रेलवे के सभी मंडलों में और उनके मुख्यालयों पर रेल चालकों ने अनशन रखते हुए, काम किया। साथ ही साथ, ट्रेनिंग ले रहे रेल चालकों ने भी इसमें हिस्सा लिया।

ए.आई.एल.आर.एस.ए. के एक प्रतिनिधिमंडल ने रेल मंत्री को अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा।

रेल चालकों ने मांग की कि रेलवे में निजीकरण और निगमीकरण को बंद किया जाये; रेलवे की भूमि, रेलवे स्टेशनों, रेलवे स्टेडियमों, रेलवे स्टेशनों पर बने

विश्रामगृहों, आदि को निजी कंपनियों को बेचना बंद किया जाए, क्योंकि यह संपत्ति लोगों की गाढ़ी कमाई से बनाई गई है। रेलगाड़ियों को सरकारी–निजी–सांझेदारी (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) में चलाये जाने को समाप्त किया जाये।

रेल चालकों ने मांग की कि ठेकेदारी प्रथा को तुरंत समाप्त किया जाये और रेल चालकों के खाली पड़े पदों पर भर्ती की जाए। रेलवे में रेल चालकों के लगभग 13,000 पद खाली पड़े हैं। खाली पदों पर नियुक्ति न होने के कारण रेल चालकों का कार्यभार बढ़ जाता है, ट्रेन चलाने की गुणवत्ता में गिरावट आती है और असुरक्षा का ख़तरा भी बढ़ जाता है।

उन्होंने अपनी काम की परिस्थितियों को बेहतर और सुरक्षित बनाने; महिला रेल चालकों के लिये कार्यस्थल पर यथोचित सुविधा उपलब्ध कराने; इंजनों में एयर कंडीशनर तथा टूलबाक्स लगाने, आदि की मांग की। साथ ही उन्होंने इस बात को भी उठाया कि नेशनल पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए। उन्होंने मांग की कि रेलवे द्वारा तय किये गये रात्रि भत्ता, हाई रिस्क भत्ता, आदि का भुगतान किया जाये। रेल चालकों से 8 घंटे की ड्यूटी के रोस्टर पर काम कराया जाये। सहायक रेल चालकों से जबरन ट्रेन मैनेजर बतौर काम न करवाया जाये। सहायक चालकों के लिये हाई रिस्क भत्ता लागू किया जाए।

रेल चालकों सहित रेलवे के सभी मज़दूरों का संघर्ष, निजीकरण के विरोध में मज़दूर वर्ग के चल रहे संघर्षों में, एक महत्वपूर्ण संघर्ष है। समाज की संपत्ति को पूंजीपतियों को हाथों में बेचे जाने से बचाने तथा रोज़गार देने वाले इस सबसे बड़े संस्थान को बचाने के लिये, देश के सभी नागरिकों को निजीकरण के विरोध में अपने एकजुट संघर्ष को और तेज़ करना होगा।

http://hindi.cgpi.org/22503

ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के मज़दूरों का संसद पर धरना

देशभर से आए मनरेगा (महात्मा गाँधी नैशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट) के मज़दूरों ने अपनी मांगों को लेकर, 'नरेगा संघर्ष मोर्चा' के झंडे तले, नई दिल्ली के जंतर–मंतर पर 2 से 4 अगस्त को तीन दिवसीय धरना दिया। नरेगा संघर्ष मोर्चा विभिन्न मनरेगा मज़दूरों के बीच काम करने वाले संगठनों का एक संयुक्त मोर्चा है।

इस धरने में सैकड़ों स्त्री व पुरुष मनरेगा मज़दूर शामिल हुए। इस धरने के माध्यम से मनरेगा मज़दूरों की मुख्य तत्कालीन मांगों पर ज़ोर दिया गया।

नरेगा संघर्ष मोर्चा का कहना है कि वित्त वर्ष 2022–23 में मनरेगा के लिए

सरकार द्वारा 73,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है। इसमें से लगभग 18,250 करोड़ रुपए पिछले वर्षों की देनदारियां हैं। यह ऐसे समय में है जब मई 2022 में काम की मांग करने वाले परिवारों की संख्या पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 11 प्रतिशत अधिक है और कोविड महामारी आने से पहले के वर्ष की तुलना में भी बहुत अधिक है। 1 जुलाई, 2022 तक सरकार पर 15 राज्यों का पैसा बकाया है, जबकि पश्चिम बंगाल को जनवरी से कोई धनराशि नहीं मिली है। इसलिए, धरने में

शेष पृष्ठ 5 पर

डाक मज़दूरों ने डाक सेवा के निजीकरण का विरोध किया

10 अगस्त, 2022 को तीन लाख से भी अधिक डाक मज़दूरों ने एक दिन की हड़ताल की। डाक मज़दूरों के साथ–साथ, हड़ताल में रेलवे मेल सर्विस (आर.एम.एस.), मेल मोटर सर्विस (एम.एम.एस.) व पोस्ट ऑफिस बैंक सर्विस (पी.ओ.बी.एस.) के मज़दूर, तथा ग्रामीण डाक सेवक भी शामिल थे। हड़ताल पोस्टल ज्वाइंट कौंसिल ऑफ एक्शन (पी.जे.सी.ए.) के झंडे तले आयोजित की गयी थी जो डाक मज़दूरों की अनेक फेडरेशनों का एक संयुक्त मंच है। सभी केन्द्रीय ट्रेड यूनियनों ने हड़ताल का समर्थन किया।

मार्च 2017 के आंकड़ों के अनुसार इंडिया पोस्ट के 1,54,965 पोस्ट ऑफिस हैं और यह दुनिया की सबसे बड़ा डाक नेटवर्क है। इंडिया पोस्ट द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में शामिल हैं, डाक से पत्र व पार्सलों को पहुंचाना, मनीआर्डर के ज़रिये पैसे भेजना, छोटी बचत योजना के तहत पैसे जमा करना, पोस्टल लाइफ इन्श्योरेंस (पी.एल.आई.) के तहत जीवन बीमा प्रदान करना और बिल भुगतान, आवेदन पत्रों की बिक्री, इत्यादि जैसी सेवाएं प्रदान करना। इंडिया पोस्ट हजारों गांवों से आंकड़े जुटाकर कर स्टेटिस्टिक्स एण्ड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.) को देता है जिससे उपभोक्ता क़ीमत सूचकांक (सी.पी.आई) की गणना होती है।

अपनी मांगों के लिये डाक मज़दूर नियमित तौर पर आंदोलन करते आये हैं। वर्तमान हड़ताल के कारणों में कम से कम निम्नलिखित दो कारण ख़ास हैं।

एक है कि सरकार ने इंडिया पोस्ट द्वारा दी जाने वाली वित्तीय सेवाओं का विलय इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (आई.पी.पी.बी.) से करने की योजना बनाई है। आई.पी.पी.बी. के गठन का प्रस्ताव और उसके

साथ पोस्ट ऑफिस के बचत खातों का विलय की योजना 2012–13 में, कांग्रेस के नेतृत्व की संप्रग सरकार के कार्यकाल में ही बना ली गयी थी।

आई.पी.पी.बी. का गठन एक निगम बतौर सितम्बर 2018 में किया गया था। इसकी 650 शाखाएं हैं और 3,250 संपर्क केंद्र हैं। इंडिया पोस्ट का आधे से ज्यादा वित्त, बैंकिंग और बीमा सेवाओं से आता है। 30 करोड़ से भी अधिक खाता धारकों ने करीब 10 लाख करोड़ का निवेश इन खातों में किया है। डाक मज़दूरों ने चिंता जताई है कि आई.पी.पी.बी. के साथ विलय से डाक विभाग के वित्तीय स्वास्थ्य पर काफी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस विलय का उद्देश्य इंडिया पोस्ट को घाटे वाला विभाग घोषित करना है ताकि इसके बाद उसको तोड़ा जा सके और उसके निजीकरण का धरातल तैयार किया जा सके।

कोहिमा, नगालैंड

हड़ताल का दूसरा प्रमुख कारण है कि सरकार डाक मित्र और कॉमन सर्विसेज सेंटर (सी.एस.सी.) जैसी योजनाओं के ज़रिये विशेष विक्रय अधिकार (फ्रेंचाइज़) देकर डाक संचालन के मूल काम को निजी कंपनियों से करवा रही है। कोविड महामारी के चलते डाक मित्र को बहुत बढ़ावा दिया गया था। इसके अलावा, डाक विभाग ने सी.एस.सी. के साथ सांझेदारी की है। अनुमान है कि देशभर में सी.एस.सी. के 4.5 लाख ग्रामीण स्तर के उद्यमी हैं और सरकार की योजना है कि उनके केन्द्रीकृत पोर्टल के ज़रिये उन्हें पार्सल और स्पीडपोस्ट की रजिस्टरी करने की अनुमति दी जायेगी। इससे करीब 30 प्रतिशत डाक मज़दूरों की नौकरी प्रभावित होगी।

डाक विभाग के अधिकारियों ने 5 अगस्त को डाक मज़दूरों की मांगों पर चर्चा करने के लिये एक मीटिंग की और उन्होंने घोषणा की कि डाक विभाग के निगमीकरण और निजीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। परन्तु डाक मज़दूरों को सरकार के आश्वासनों पर विश्वास नहीं है। सरकार को स्पष्ट रूप से चेतावनी देने के लिये कि उन्हें मात्र आश्वासनों पर भरोसा नहीं है, इसीलिये उन्होंने फ़ैसला लिया कि वे अपना आंदोलन वापस नहीं लेंगे, और अपनी हड़ताल के नोटिस के अनुसार हड़ताल पर रहेंगे।

डाक मज़दूरों ने अनेक बार ध्यान दिलाया है कि डाक सेवाओं के निजीकरण से अवश्य ही इन सेवाओं की क़ीमतें बढ़ेंगी और सेवाएं बिगड़ेंगी, ख़ास तौर पर देश के दूर–दराज़ स्थानों पर। यह समाज के हित के विपरीत है। निजीकरण के ख़िलाफ़ लड़ने वाले सभी लोगों को इंडिया पोस्ट के मज़दूरों के संघर्ष का समर्थन करना चाहिये।

http://hindi.cgpi.org/22508

देशभर में डाक मज़दूर हड़ताल पर

मैसूरू, कर्नाटक

पालैयंकोटै, तमिलनाडू

ग्रामीण रोज़गार गारंटी योजना के मज़दूरों का संसद पर धरना

पृष्ठ 4 का शेष

सरकार से इस धनराशि को फ़ौरन बढ़ाने और इसका आबंटन सुनिश्चित करने की मांग की गयी।

कई जगहों से आए मज़दूरों ने बताया कि मनरेगा के अधिनियम के अनुसार, काम के पूरा होने पर मज़दूरों को 15 दिनों के अंदर भुगतान किया जाना चाहिए। और मज़दूरों के वेतन मिलने में हर दिन की देरी पर पूरा मुआवज़ा दिया जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। नरेगा के क़ानूनी प्रावधानों का बेरहमी से उल्लंघन किया जा रहा है। नरेगा का विस्तार करने के बजाय, सरकार इसे कम कर रही है। मज़दूरी के भुगतान में भी महीनों की देरी होती है।

सभी मज़दूरों ने साल में 200 दिनों का काम व एक दिन की मज़दूरी 800 रुपये किए जाने की मांग को ज़ोर–शोर से उठाया।

मज़दूरों ने इस बात को भी ज़ोर–शोर से उठाया कि मनरेगा मज़दूरों पर योजनागत निगरानी सुनिश्चित करने और कार्यस्थल पर श्रमिकों की उपस्थिति के वास्तविक समय को रिकॉर्ड करने के लिए बनाए गए नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर (एन.एम.एम.एस.) ऐप के इस्तेमाल से मज़दूरों की परेशानी बहुत बढ़ी है। नेटवर्क के अभाव और तकनीकी गड़बड़ी के चलते, हाजिरी रिकार्ड नहीं हो पाती है। ऐसे में न घंटों और न ही दिनों के लिए मज़दूरी की गारंटी होती है। धरने में यह एक अहम मांग उठाई गयी कि एन.एम.एम.एस. सॉफ्टवेयर आधारित हाज़िरी दर्ज़ करने की व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए।

मनरेगा व्यवस्था के अन्दर अलग–अलग स्तरों पर मौजूद भ्रष्टाचार पर भी आंदोलित मज़दूरों ने बात रखी। कई राज्यों में निजी ठेकेदारों, राजनीतिक दलों के और भ्रष्ट पदाधिकारियों के बीच गठजोड़ के चलते, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसके ख़िलाफ़ सख़्त कार्यवाही करने की मांग उठाई गयी।

नरेगा संघर्ष मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों के मांगपत्र को सभी संबंधित सरकारी कार्यालयों, सांसदों तथा राजनीतिक पार्टियों के कार्यालयों को सौंपा।

http://hindi.cgpi.org/22483

मज़दूर एकता लहर

हिन्दोस्तान की कम्युनिस्ट ग़दर पार्टी की केन्द्रीय कमेटी का अख़बार

RNI No.- 45893/86 Postal Regd. No. DL(S)-01/3177/2021-23

Posting Date at DLPSO, 16 & 17 Aug, 2022 Date of publish - 16 Aug, 2022

To

.....

.....

.....

.....

.....

.....

स्वामी लोक आवाज़ पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रिब्यूटर्स के लिये प्रकाशक एवं मुद्रक मधुसूदन कस्तूरी की तरफ से, ई–392 संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020, से प्रकाशित। शुभम इंटरप्राइजेज, 260 प्रकाश मोहल्ला, ईस्ट ऑफ कैलाश, नई दिल्ली 110065 से मुद्रित। संपादक– मधुसूदन कस्तूरी, ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020
email : melpaper@yahoo.com, mazdoorektalehar@gmail.com, Mob. 9810167911

अवितरित होने पर इस पते पर वापस भेजें :
ई–392, संजय कालोनी ओखला औद्योगिक क्षेत्र फेस–2, नई दिल्ली 110020

WhatsApp
9868811998

रामगढ़ रेलवे स्टेशन पर जन सुविधाओं की मांग को लेकर संघर्ष

राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले की उप–तहसील रामगढ़ के अंर्तगत आने वाले रामगढ़ हाल्ट स्टेशन पर अत्यावश्यक जन सुविधाओं की कमी है। स्टेशन पर सुविधाओं को सुनिश्चित करवाने के लिये वहां के आप–पास के गांवों के निवासियों के संघर्ष लगातार चल रहे हैं।

वहां के जन संगठनों, किसान संगठनों और निवासियों ने कई बार 'रेल रोको' प्रदर्शन किये हैं, लेकिन रेल प्रशासन ने हर बार दिए गए आश्वासनों पर अब तक कोई क़दम नहीं उठाया है।

निवासियों द्वारा यह मांग की जा रही है कि हनुमानगढ़ से सादुलपुर के बीच में स्थित, रामगढ़ हाल्ट स्टेशन के प्लेटफार्म की ऊंचाई को बढ़ाया जाये। रामगढ़ हाल्ट स्टेशन के प्लेटफार्म की उंचाई गाड़ी के

फाइल फोटो

डिब्बे से काफी नीचे है। प्लेटफार्म के नीचे होने के कारण कारण बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को गाड़ी में चढ़ते व उतरते समय भारी समस्या का समाना करना पड़ता है और दुर्घटना की संभावना बनी रहती है।

रेलवे अधिकारियों को यह भी याद दिलाया गया है कि हनुमानगढ़ और सादुलपुर के बीच आने वाले बाकी सभी रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म की ऊंचाई को बढ़ाया जा चुका है।

निवासियों ने लगातार यह मांग भी उठाई है कि रामगढ़ हाल्ट स्टेशन की ऊंचाई को बढ़ाने के साथ–साथ, बुकिंग ऑफिस, विश्राम गृह, आदि का निर्माण करवाया जाए। स्टेशन पर एक फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जाये, जिसके न होने के कारण, इस समय यात्री रेल लाइन को पटरियों पर चलकर पार करने को मज़बूर हैं। इससे हर समय जान का ख़तरा बना रहता है।

रामगढ़ की लोक राज समिति ने मंडल प्रबंधक, उत्तर पश्चिम रेलवे, बीकानेर को पत्र लिखकर मांग की है कि इस न्यायोचित मांग को तुरंत पूरा किया जाये और रामगढ़ हाल्ट स्टेशन की समस्याओं का समाधान किया जाये।

http://hindi.cgpi.org/22500

मज़दूरों ने बिजली (संशोधन) विधेयक 2022 का विरोध किया

पृष्ठ 1 का शेष

नतीजा होगा कि राज्य के स्वामित्व वाली वितरण कंपनियां दिवालिया हो जायेंगी और फिर उन्हें बंद कर दिया जाएगा। एक बार जब निजी इजारेदारों ने बिजली के वितरण पर अपना वर्चस्व जमा लिया, तो वे बिजली की दरों को अधिकतम स्तर तक बढ़ा देंगे। नतीजन मज़दूरों, किसानों और मेहनतकशों की आबादी और भी ग़रीब होगी।

बिजली संशोधन विधेयक को केवल बिजली मज़दूरों के विरोध का ही सामना नहीं करना पड़ रहा है बल्कि देश के किसानों के व्यापक विरोध का सामना भी करना पड़ा रहा है। देश के कई राज्यों में उपभोक्ता फोरम भी बनाये गये हैं, जो बिजली वितरण के निजीकरण के विनाशकारी परिणामों के बारे में लोगों को समझाने के लिए बिजली मज़दूर यूनियनों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

लोगों के सभी वर्गों के व्यापक विरोध के बावजूद, सरकार ने बिजली संशोधन विधेयक 2022 को संसद में पेश किया है।

इससे एक बार फिर साफ़ पता चलता है कि कैसे हर सरकार का एजेंडा, इजारेदार पूंजीपतियों के हितों को सुनिश्चित करने के लिए तय किया जाता है, न कि लोगों के हितों की सुरक्षा के लिये।

जब कोई नया विधेयक संसद में पेश किया जाता है, ख़ासकर जब उस पर परस्पर–विरोधी विचारों की अपेक्षा की जाती है, तो उसे स्थायी संसदीय समिति को भेजना एक आम बात है। ऐसी समितियों में आमतौर पर सत्तारूढ़ और विपक्षी, दोनों पार्टियों के सांसद होते हैं। ये समितियां हिन्दोस्तानी और विदेशी, दोनों पूंजीपतियों के विशेषज्ञों, थिंक–टैंकों और सलाहकारों के साथ बंद कमरे में बैठ कर प्रस्तावित क़ानून की समीक्षा करती हैं।

इस प्रथा का "अभ्यास में वास्तविक संसदीय लोकतंत्र" के रूप में प्रचार किया जाता है, क्योंकि विपक्षी पार्टियों और कई बुर्जुआ–विशेषज्ञों के विचारों को, विधेयक का मसौदा तैयार करने में शामिल किया गया है। हालांकि, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस समीक्षा में मज़दूरों और किसानों के विचारों के लिए कोई जगह नहीं है।

बिजली मज़दूरों और बिजली वितरण के निजीकरण का विरोध कर रहे लोगों को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिए कि विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजने से इजारेदार पूंजीवादी घरानों का एजेंडा नहीं चलेगा। लोगों को यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्तमान समय में सरकार का विरोध करने वाली कई पार्टियां, बिजली वितरण के निजीकरण के इजारेदार पूंजीपतियों के एजेंडे के लिए प्रतिबद्ध हैं। जब भी वे पार्टियों सत्ता में रही हैं, उन्होंने निजीकरण के एजेंडे को आगे बढ़ाया है।

बिजली क्षेत्र के मज़दूरों को बहुत सतर्क रहना चाहिए, और सभी मज़दूरों और किसानों के साथ अपनी एकता को और भी मजबूत करना चाहिए। उन्हें बिजली वितरण के निजीकरण के ख़िलाफ़ अपने संघर्ष को और भी अधिक तेज़ करने के लिए तैयार रहना चाहिए।

http://hindi.cgpi.org/22514

मज़दूर एकता लहर के लेखों को सुनिये

चुनिंदा लेखों को सुनने के लिये हिन्दी वेबसाइट (www.hindi.cgpi.org) **पर जायें और ड्रॉपडाऊन मेनू या साइडबार में "लेखों को सुनें" पर क्लिक करें।**

मज़दूर एकता लहर का वार्षिक शुल्क और अन्य प्रकाशनों का भुगतान आप बैंक खाते और पेटीएम में भेज सकते हैं

आप वार्षिक ग्राहकी शुल्क (150 रुपये) सीधे हमारे बैंक खाते में या पेटीएम क्यूआर कोड स्केन करके भेजें और भेजने की सूचना नीचे दिये फोन या वाट्सएप पर अवश्य दें।

खाता नाम–लोक आवाज़ पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रिब्यूटर्स
बैंक ऑफ महाराष्ट्र, न्यू दिल्ली, कालका जी
खाता संख्या–20066800626, **ब्रांच नं.**–00974
IFSCode: MAHB0000974, मो.–9810167911
वाट्सएप और पेटीएम नं.-9868811998
email: mazdoorektalehar@gmail.com